

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक..... 8707 / पटना, दिनांक 09.10.18

01 नि./वाहन - 05/2018

प्रेषक,

रचना पाटिल, भा.प्र.से.
निबंधक,
सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

विषय :- सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभागीय कार्यों हेतु भाड़े की गाड़ी के उपयोग करने की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में पैक्स के द्वारा धान अधिप्राप्ति, सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण एवं चावल मिल की स्थापना, खाद व्यवसाय, ऋण वसूली आदि महत्वपूर्ण कार्यों के पर्यवेक्षण/निरीक्षण हेतु सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को वित्त विभागीय परिपत्रों के आलोक में इसमें निर्दिष्ट शर्तों का पालन करते हुए बजट उपबंध के अधीन जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर या इस दर के अधीन निविदा के माध्यम से भाड़े पर वाहन रखने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है:-

- (i) सरकारी वाहनों की रद्दीकरण के उपरांत ही भाड़े के वाहन का उपयोग किया जाय या फिर रद्दीकरण की प्रत्याशा में फिलहाल भाड़े का स्वयं व्यय भार वहन किया जाय और रद्दीकरण के उपरांत प्रतिपूर्ति प्राप्त कर ली जाय।
 - (ii) भाड़े पर वाहन के परिचालन में न्यूनतम आवश्यकता एवं मितव्ययिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 - (iii) यदि सरकारी वाहन का रद्दीकरण कराया गया है, तो उक्त वाहन को नियमानुसार यथाशीघ्र नीलाम कराते हुए प्राप्त राशि कोषागार में जमा कर सूचित किया जाय।
 - (iv) बाह्य सेवा शर्तों पर पदस्थापित/अतिरिक्त प्रभार के पदाधिकारी, जिन्हें बाह्य सेवा में वाहन उपलब्ध हो, वे भाड़े के वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे।
 - (v) जिस कार्यालय में सक्षम चालक पदस्थापित/प्रतिनियुक्त हैं, वहाँ चालक रहित दर पर भाड़े का वाहन लिया जाय।
 - (vi) यह आदेश वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 01.04.18 के प्रभाव से प्रभावी होगा
2. भाड़े के वाहन पर व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में माँग संख्या-09 के अंतर्गत मुख्यशीर्ष-2425-सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष-0002-अधीक्षण, विषय शीर्ष-0002.13.10-भाड़े की गाड़ी का भुगतान, विपत्र कोड़ 09-2425000010002 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
 3. वाहन के भाड़े की राशि की निकासी एवं भुगतान सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी उपर्युक्त शीर्ष अंतर्गत निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा दिए गए आवंटन के आलोक में किया जा सकेगा।
 4. उपर्युक्त स्वीकृति में प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


(रचना पाटिल)
निबंधक,

सहयोग समितियाँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 8707 / पटना, दिनांक 09.10.18

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ / सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी / बजट शाखा, प्रशाखा 01/नि., कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।


निबंधक, 18
सहयोग समितियाँ
बिहार, पटना।
